दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय की वैधानिक संस्था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955(36) के तहत गठित)

क्र.: डी.के.एस. / मिनी उर्स / अ.निविदा / 2022 / **1210** दिनांक : 22.07.2022

प्रेषितः—

मेसर्स गुप्ता जी एडवराटाईजिंग एण्ड न्यूज एजेन्सी
मदार गेट, अजमेर

विषय : DAVP दर पर निविदा प्रकाशन बाबत।

महोदय जी,

निम्न अल्पकालीन निविदा सूचना को दिनांक 23.07.2022 के दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के अजमेर संस्करण में DAVP दर पर प्रकाशित कर बिल मय दो समाचार पत्रों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

अल्पकालीन निविदा सूचना

मोर्हरम—1444 (मिनी उर्स 2022), दिनांक 30 जुलाई से 09 अगस्त 2022 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यो हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. विश्रामस्थली, कायड़ पर वाहनों की पार्किंग निविदा।
2. ईदगाह, केसरगंज में चौपहिया वाहन की पार्किंग निविदा।
3. अस्थाई तौर से 16 CCTV with surveillance system कायड़ विश्राम स्थापित करने का कार्य निविदा।
4. विश्रामस्थली, कायड़ पर निर्धारित प्रिंटींग, फ्लैक्स एवं फिक्सींग कार्य हेतु दर बाबत निविदा।
5. विश्रामस्थली पर पूर्णतः अस्थाई रूप से कार्य करने के योग्य व्यक्ति पूर्ण विवरण मय पहचान पत्र के साथ नाज़िम कार्यालय, कायड़ विश्रामस्थली पर दिनांक 28.07.2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक आवेदक / फर्म / निविदादाता नाज़िम कार्यालय की वेबसाईट www.gharibnawaz.minorityaffairs.gov.in से निविदा प्रपत्र एवं शर्ते डाउनलोड अथवा व्यक्तिगत 500 रूप्यें शुल्क देय करते हुए नाज़िम कार्यालय, दरगाह शरीफ़ से दिनांक 28 जुलाई 2022, अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त कर जमा करा सकते हैं। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 28 जुलाई 2022 को सायः 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं दरगाह कमेटी द्वारा खोली जाएगी। फार्म डाउनलोड करने पर प्रपत्र शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

नज़िम एंव मुख्यकार्यकारी अधिकारी

कृते नाज़िम

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र : अस्थाई वाहन पार्किंग व्यवस्था (ईदगाह, केसरगंज)

निविदा फार्म, अवधि : दिनांक 30 जुलाई से 09 अगस्त 2022 तक

निविदा फार्म क्र : डी.के.एस./मिनी उर्स/अ.निविदा/2022/1210/ 22.07.2022

निविदा प्रपत्र शूल्क : 500 रूप्ये

धरोहर राशि : 10,000 रूप्ये मात्र।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा कराने की तिथि : 28.07.2022 अपराह्न 02 बजे तक।

प्राप्त निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि : 28.07.2022 सायं: : 04 बजे तक।

निविदा कार्य की अनुमानित न्यूनतम लागत : 200000 रूप्ये मात्र

1. निविदा दाता/फर्म का नाम : ....

   ....

2. पता (स्थाई) : ....

   ....

3. मोबाईल नम्बर : ....

4. पहचान पत्र : ....

5. पैन नम्बर : ....

6. रजि. नम्बर (यदि फर्म होतो) : ....

7. धरोहर राशि विवरण : DD No./MR No.....................................Date : ....

8. कार्य अनुभव विवरण : ....

   ....

9. **निविदा राशि** (न्यूनतम से अधिक) : **(अंको में)** ....

   (शब्दों में)..

यह की इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट नियम/शर्ते मेरे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली गई है जिसके प्रमाण स्वरूप इस प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं मैं इन शर्तो की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूं।

नोट : नियम एवं शर्ते सलंग्न 2 पृष्ठ।

हस्ताक्षर मय सील निविदा दाता

दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय की वैधानिक संस्था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955(36) के तहत गठित)

नियम और शर्ते

अस्थाई वाहन पार्किंग व्यवस्था (ईदगाह, केसरगंज)

1. निविदादाता को दरगाह कमेटी की समस्त नियम और शर्तो की पालना करनी होगी।
2. उक्त निविदा अवधि दिनांक 30 जुलाई 2022 से 09 अगस्त 2022 तक प्रभावी होगी।
3. **दरगाह कमेटी द्वारा पार्किंग शूल्क 400 रूप्ये मात्र (निविदा अवधि तक के लिए) निर्धारित है। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलने पर धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार दरगाह कमेटी के पास सुरक्षित है।**
4. पार्किंग शुल्क की रसीद जिसमें वाहन नम्बर, मोबाईल नम्बर, ड्राईविंग लाईसेंस और पता भी अंकित होगा, जिसे सभी पार्किंग वाहनों को उपलब्ध करवानी अनिवार्य होगी।
5. **उक्त पार्किंग शुल्क दर का बैनर पार्किंग स्थल पर बड़े एवं पठनीय शब्दों मे लगाना अनिवार्य है।**
6. प्राप्त अधिकतम निविदा दर को निविदा कार्य आवंटित किया जाएगा।
7. सफल निविदा दाता को एक मुश्त स्वीकृत निविदा राशि नकद/चैक के जरीये जमा करवानी होगी।
8. भरे हुए निविदा फार्म के साथ निर्धारित धरोहर राशि 10000 (दस हजार) की डी.डी./नकद **"नाज़िम, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर"** के नाम देय, जमा करवानी होगी।
9. धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। कार्य समाप्ति के एक माह पश्चात् उक्त राशि चैक द्वारा लौटाई जाएगी।
10. **निविदा कार्य की अधिकृत न्यूनतम दर दो लाख रूप्ये है। न्यूनतम दर से कम निविदा दर प्राप्त होने पर निविदा अमान्य मानी जाएगी।**
11. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ पहचान हेतु पैनकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज़ फोटो एवं फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां सलंग्न करनी अनिवार्य है।
12. निविदा कार्य हेतु यदि सरकार की कोई ड्यूटी या टैक्स प्रभावी है तो निविदा दाता द्वारा देय होगी।
13. सीलबंद निविदा फार्म जिस पर **अस्थाई वाहन पार्किंग व्यवस्था (ईदगाह, केसरगंज)** अंकित कर **कार्यालय नाज़िम एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर** निर्धारित तिथि तक नाज़िम कार्यालय के निविदा बॉक्स में डालनी होगी।
14. सफल निविदा दाता को 30 जुलाई 2022, प्रातः 08 बजे से कार्य प्रारंभ करना होगा।
15. सरकारी वाहनों के लिए कोई पार्किंग शूल्क नहीं लिया जाएगा।
16. निविदा दाता को शिकायत/सुझाव रजिस्टर पार्किंग स्थल पर रखना होगा।
17. पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार कोई विज्ञापन नहीं लगाया जाएगा।
18. पार्किंग के सम्बन्ध में आवश्यक सामान की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
19. वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त संख्या में अस्थाई कार्मिक विशेष रंग की रिफ्लेक्टर जैकेट के साथ स्वयं के स्तर पर रखने होंगे। इन अस्थाई कार्मिक के पहचान कार्ड कार्य अवधि में पहनना आवश्यक होगा।
20. पार्किंग क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों की सूची आप द्वारा दरगाह कमेटी को दो प्रतियों में मय नाम और मोबाईल नम्बर व समय के उपलब्ध करवानी होगी।

21. कार्य के दौरान किसी भी कार्मिक की दुर्घटना हो जाए तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सफल निविदा दाता की होगी। दरगाह कमेटी का इससे कोई सरोकार नहीं होगा।
22. पार्किंग वाहन में किसी भी प्रकार के नुक़सान एवं विवाद होने पर दरगाह कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सफल निविदा दाता ही स्वयं के स्तर पर उसका निस्तारण करेगा।
23. वाहनों की पार्किंग करने से पूर्व पार्किंग स्थल पर सफेद लाईन कर व्यवस्थित पार्किंग करवानी होगी।
24. वाहनों की स्टेशनरी सम्बन्धित खर्च सफल निविदा दाता के स्तर पर किया जाएगा।
25. पार्किंग क्षेत्र में साफ सफाई का ख्याल सफल निविदा दाता को रखना होगा।
26. आपको जायरीन व वाहन चालकों के साथ सद्व्यवहार करना होगा।
27. प्रत्येक छः घंटे में आपको वाहनों की आवक–जावक एवं उपलब्धता का ब्यौरा सक्षम अधिकारी को देना होगा।
28. समय समय पर जिला प्रशासन एवं दरगाह कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।
29. सफल निविदा दाता द्वारा पार्किंग कार्य को स्थानांतरित/सबलेट नहीं किया जाएगा।
30. पार्किंग कार्य के अतिरिक्त पार्किंग स्थल पर आप द्वारा कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जाएगा।
31. सफल निविदा दाता को 100 रूप्ये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
32. निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
33. नाज़िम एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
34. निविदा प्रपत्र में काट छांट, अस्पष्ट लेखन या अवर राईटिग होने पर निविदा निरस्त होगी।
35. पार्किंग स्थल पर खड़े सभी वाहनों की पूरी जिम्मेदारी सफल निविदा दाता की होगी।
36. दरगाह कमेटी के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा पार्किंग स्थल का निरीक्षण करने पर पूर्ण सहयोग करना होगा।
37. यदि निविदा दाता की गलती/असफलता/चूक के कारण दरगाह कमेटी को पार्किंग स्थल की वैकल्पिक व्यवस्था से करने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था का खर्चा सफल निविदादाता से वसूला जाएगा।
38. निविदादाता के कार्मिक को पार्किंग क्षेत्र में धुम्रपान/शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे।
39. निर्धारित पार्किंग क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहन बाहर खड़ा मिलता है तो इसकी सूचना यातायात पुलिस को सूचित करना आवश्यक है।
40. पार्किंग स्थल पर पुलिस/अग्नि शमन की हेल्पलाईन के नम्बर भी दर्शीत करने होंगे।

दिनांक :

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय नाम एवं पूर्ण पता